न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 359 / 2021
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या :– 53,88 आरटीए

पवन कुमार पुत्र श्री गुरदयालदास जाति बैरागी नि. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र विजय सिंह जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
2. विनोद कुमार पुत्र विजय सिंह जाति नाई निवासी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
3. विजय सिंह पुत्र सुलतानराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
4. भीमसैन पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
5. फकीरचंद पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
6. चिमनलाल पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
7. तहसीलदार राजस्व, संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री अनिल कुमार भार्मा अधिवक्ता – वादी
2. श्री सुशील कुमार अधिवक्ता – प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3
3. श्री देवेन्द्र सिह अधिवक्ता – प्रतिवादी संख्या 5, 6
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया–प्रतिवादी संख्या 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध व प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में निवेदित हैं। वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 9 एसबीएन पटवार हल्का रतनपुरा जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता सं. 63 / 47 में कुल 10.375 है. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

प.नं..	मु.नं.	किला नं.
184 / 199	47	1 / 0.228, 10, 11, 20, 21
183 / 199	48	5 / 0.202,6 / 0.228,7 ता 9,11ता14,15 / 0.228,16 / 0.228,17ता24, 25 / 0.228
183 / 200	49	1 ता 4, 5 / 0.228, 6 / 0.228, 7 ता 10
189 / 200	50	1 ता 3, 8 ता 10 मय गैर मुमकिन रास्ता खाला कुल 10.375है.

वादी के नाम से चक 9 एसबीएन के खाता सं. 63 / 47 में 5.186 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में अपनी समस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा खाला रास्ता के अनुसार कर रखा है मुताबिक घरू बंटवारा के वादी के हक, हिस्सा व कब्जा में निम्न कृषि भूमि आईः–

प.नं..	मु.नं.	किला नं.
184 / 199	47	1 / 0.228, 10, 11, 20 / 0.126
183 / 199	48	5 / 0.202, 6 / 0.228, 21 ता 24, 25 / 0.228
183 / 200	49	1 ता 4, 5 / 0.228, 6 / 0.228, 7 ता 10 कुल 5.186 है. मय गै.मु. रास्ता खाला

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अर्सा दराज पूर्व अपनी कृषि भूमि का घरू बंटवारा कर लिया था और मुताबिक घरू बंटवारा के अपने हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक तरीका से काबिज चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 ने अपने कृषि औजार आदि रखने के लिए किला नं. 20 में अपनी ढाणियां बना रखी है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने खेत में आवागमन व ढाणियों में आवागमन हेतु परस्पर सहमति से प.नं. 183/199 मु. नं. 48 के किला नं. 5, 6, 15, 16 में पत्थर लाईन के साथ चल रहे खाला के साथ 1–1 बिस्वा रास्ता छोड़ रखा है उक्त रास्ता मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 5, 6, 15, 16 में से होते हुए वादी के कब्जा काश्त के किला नं. 25 में जाता है। किला नं. 25 में उक्त रास्ता किला नं. 25 में उतर पूर्वी कोने में 12 गुणा 20 फुट चलता है तदोपरांत यह रास्ता पं. नं. 184/199 मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 21 में पूर्व से पश्चिम की ओर किला नं. 21 से 10 फुट चोड़ा व 95 फुट लंबा जाता है जिससे वादी व प्रतिवादीगण समस्त अपने खेतों में व ढाणियों में आवागमन करते हैं। उक्त रास्ता वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार सहमति से छोड़ा हुआ है जो अर्सा दराज से बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है अब वादी इसी अनुरूप रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि पर निरंतर व निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण भी अपने अपने हक व हिस्सा मुताबिक घरू बंटवारा में मुताबिक कब्जा के काश्त करते चले आ रहे हैं जिस संदर्भ में किसी भी वादी व प्रतिवादीगण द्वारा उजर व एतराज नहीं किया गया है लेकिन अब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य रास्ता व सींवबट को लेकर आपस में विवाद रहता है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में रास्ता को लेकर विवाद हुआ था जिस पर दिनांक 11.08.2020 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य एक पंचायत हुई और उस पंचायत की लिखा पढ़ी राजीनामा के रूप में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा स्टाम्प पर की गई। वादी वाद पत्र की चरण सं. 03 के मुताबिक अपना खाता अलग कायम करवा सांझा में प्रत्येक हिस्सेदार अपने खेत में जा सके इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए समझौता के अनुरूप रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे चलकर वादी को कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग कायम करवा खाता तकसीम में वादी व प्रतिवादीगण को खेत व उनमें बनी ढाणियों में आवागमन हेतु चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवा लेंवे पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे और अंत में कल ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादी का वाद पत्र की चरण सं. 03 के मुताबिक घरू बंटवारा के अनुसार खाता अलग कायम किया जावे एवं वादी के खेत व ढाणी में आवागमन हेतु चल रहे रास्ता को इसी अनुरूप स्वीकृत किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जिसका वादीगण ने जवाबउल

जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वाद वादी खारिज किए जाने का कथन करते हुए अपना जवाबदावा पेश किया किया जो भाामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र व काउन्टर क्लेम का विरोध नही करने के कारण कोई तनकीयात कायम नही की गई। साक्ष्य वादी में वादी पवन कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जिरह में वादी द्वारा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने में कोई एतराज नही होना अंकित किया। तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 3 विजय सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जिसका वादी द्वारा कोई विरोध नही किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 के साथ जमाबन्दी चक 9 एसबीएन खाता संख्या 132/47 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1 करवाई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सहकाश्तकार होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने एव प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही आने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 9 एसबीएन खाता संख्या 63/47 खाता विजय सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है, इसलिए वादी खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 3 में वर्णित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के काउन्टर क्लेम हेतु वादी ने जिरह में अपनी सहमति प्रकट करने वं प्रतिवादी संख्या 4 तामील के बावजूद उपस्थित नही होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वादी का वाद–पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम मुताबिक अनुतोश डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 132/147 प.न. 183/199 मु.न. 48 के किला नं. 5,6,15,16 मे पत्थर लाईन के साथ चल रहे खाला के साथ 1 बिस्वा रास्ता जो आगे जाकर किला नम्बर 25 के उतरी पूर्वी कोने में 12 गुणा 20 फिट व उसके पश्चात प.न. 184/199 मु.न. 47 किला नं. 21 में पूर्व से पश्चिम की ओर किला नं. 21 में 10 फुट चौड़ा व 95 फिट लम्बा ढाणियों में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर

निम्नानुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो :–

1. वादी पवन कुमार पुत्र श्री गुरदयालदास जाति बैरागी निवासी रतनपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक 9 एसबीएन खाता संख्या 63/47 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 (वर्तमान खाता 132/14)		
प.नं..	मु.नं.	किला नं.
184/199	47	1/0.228, 10, 11, 20/0.126
183/199	48	5/0.202, 6/0.228, 21 ता 24, 25/0.228
183/200	49	1 ता 4,5/0.228, 6/0.228, 7ता10 कुल 5.186 है. मय गै.मु. रास्ता खाला

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हंसराज, विनोद कुमार पि. विजय सिह एवं प्रतिवादी संख्या 3 विजय सिह पुत्र सुलतानराम समस्त जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक 9 एसबीएन खाता संख्या 63/47 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073		
प.नं..	मु.नं.	किला नं.
183/199	48	7,8,9,11,12,13,14 व किला नम्बर 15/0.215 कुल 2.024 है. मय 0.013 है. रास्ता 0.025 है. खाला

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 359/2021

पवन कुमार पुत्र श्री गुरदयालदास जाति बैरागी नि. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र विजय सिंह जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
2. विनोद कुमार पुत्र विजय सिंह जाति नाई निवासी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
3. विजय सिंह पुत्र सुलतानराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
4. भीमसैन पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
5. फकीरचंद पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
6. चिमनलाल पुत्र जीराम जाति बैरागी नि. 9 एसबीएन रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
7. तहसीलदार राजस्व, संगरिया प्रतिवादीगण

डिक्री **दिनांक :– 14.02.2023**

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार भार्मा वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण सुशील कुमार व देवेन्द्र सिह मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी डिक्री दी जाती है कि चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 132/147 प.न. 183/199 मु.न. 48 के किला नं. 5,6,15,16 मे पत्थर लाईन के साथ चल रहे खाला के साथ 1 बिस्वा रास्ता जो आगे जाकर किला नम्बर 25 के उतरी पूर्वी कोने में 12 गुणा 20 फिट व उसके पश्चात प.न. 184/199 मु.न. 47 किला नं. 21 में पूर्व से पश्चिम की ओर किला नं. 21 में 10 फुट चौड़ा व 95 फिट लम्बा ढाणियों में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. वादी पवन कुमार पुत्र श्री गुरदयालदास जाति बैरागी निवासी रतनपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक 9 एसबीएन खाता संख्या 63/47 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073(वर्तमान खाता 132/14)		
प.नं..	मु.नं.	किला नं.
184/199	47	1/0.228, 10, 11, 20/0.126
183/199	48	5/0.202, 6/0.228, 21 ता 24, 25/0.228
183/200	49	1ता 4,5/0.228, 6/0.228,7 ता 10 कुल 5.186 है.मय गै.मु. रास्ता खाला

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हंसराज, विनोद कुमार पि. विजय सिह एवं प्रतिवादी संख्या 3 विजय सिह पुत्र सुलतानराम समस्त जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक 9 एसबीएन खाता संख्या 63/47 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073		
प.नं..	मु.नं.	किला नं.
183/199	48	7,8,9,11,12,13,14 व किला नम्बर 15/0.215 कुल 2.024 है. मय 0.013 है. रास्ता 0.025 है. खाला

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज........×........मुब्लिक.......×........बाबत....100/–......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......×........को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official